न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
174 / 2015	2017 / 952	20.07.2015	30.05.2022
बी.टी.नं. 568 / 2017			

उनवान प्रकरण

1. रामचन्द्र उम्र 63 साल पुत्र हरनाथ
2. गौरीशंकर उम्र 58 साल पुत्र हरनाथ
3. गुलझारी उम्र 50 साल पुत्र हरनाथ
4. लिछमण उम्र 47 साल पुत्र हरनाथ
5. चिरंजीलाल उम्र 44 साल पुत्र हरनाथ
6. महादेव उम्र 40 साल पुत्र हरनाथ
7. जगदीश प्रसाद उम्र 48 साल पुत्र मंगलाराम
8. रामवतार उम्र 45 साल पुत्र मंगलाराम
9. बनवारीलाल उम्र 42 साल पुत्र मंगलाराम
10. सुल्तानराम उम्र 40 साल पुत्र मंगलाराम
11. गोपालराम उम्र 38 साल पुत्र मंगलाराम

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी भरण की तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल उम्र 70 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2. कालूराम उम्र 67 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

3. जगदीश उम्र 64 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

4. चोथमल उम्र 60 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

5. बलदेव उम्र 56 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

6. शिम्भुदयाल उम्र 52 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

7. गीगाराम उम्र 47 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

8. मनफूल उम्र 45 साल पुत्रगण तुलसाराम पौत्र जवारा

9. गौरा देवी पुत्री तुलसाराम पोत्री जवारा उम्र 65 साल

10. सबलाराम पुत्र जवारा उम्र 80 साल (फौत)

10/1 धापू देवी पत्नी स्व0 सबलाराम उम्र 70 साल

10/2 सुगनचन्द पुत्र स्व0 सबलाराम उम्र 45 साल

समस्त जाति माली निवासी ढ़ाणी भरण की तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

11. उप पंजीयक उप तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर

12. पटवारी हल्का थोई जिला सीकर

13. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

14. मैनेजर आर.जी.बी.बैंक शाखा थोई जिला सीकर

15. मैनेजेर पी.एन.बी.बैंक शाखा कांवट जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की ओर से।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1458 से 1460, 1462 से 1466, 1472, 1473, 1488, 1495 से 1503, 1505 कुल किता 21 कुल रकबा 12.9900 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1489, 1504 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी, पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व में 1/2 हिस्सा की वादीगण के पितागण क्रमशः हरनाथ, मंगला पुत्रगण आना के नाम दर्ज थी तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या-10 सबलाराम पुत्र जवारा ने माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, श्रीमाधोपुर के यहाँ उनवानी दावा सबलाराम बनाम तुलसाराम वगैरह मुक़दमा नंबर 270/1988 प्रतिवादी संख्या-1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 में से अपने हिस्सा की भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें पक्षकारान् द्वारा दिनांक 13-10-1988 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या-1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के नाम दर्ज हिस्सा की भूमि बाबत भूमि में 1/6 हिस्सा वादी के आया व प्रतिवादी संख्या-1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के 1/3 हिस्सा आया तथा शेष 1/2 हिस्सा हरनाथ, मंगला का है। इसी के मुताबिक वादी व् प्रतिवादीगण मोके पर काबिज काश्त है, बाबत हुआ था तथा उक्त दावा में निर्णय व् डिक्री भी दिनांक 16-12-1988 को उक्तानुसार ही हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या-10 सबलाराम पुत्र जवारा के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत हुयी थी तथा सबलाराम द्वारा प्रस्तुत दावा उक्त हिस्सानुसार खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया था परन्तु भूमि में वादीगण के पिता क्रमशः हरनाथ, मंगला पुत्र आना के नाम दर्ज खातेदारी हक हिस्सा 1/2 की भूमि में से गलत रूप से भूमि कम करवाते हुये खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा व प्रतिवादी [illegible] जवारा ने अपने नाम गलत रूप से दर्ज राजस्व कर्मचारियों पटवारी हल्का आदि [illegible] र दर्ज करवा ली गयी। जिसका उनको कोई अधिकार किसी किश्म का [illegible] पिता क्रमशः हरनाथ, मंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्र आना के नाम दर्ज खातेदारी हक हिस्सा 1/2 की भूमि से छेड़छाड़ करवाकर हिस्सा कम करवाने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं था ना ही है तथा प्रतिवादीगण का वादीगण के पिता क्रमशः हरनाथ, मंगला पुत्रगण आना काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उसकी मृत्यू उपरान्त वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम उनके हक हिस्सानुसार हिस्सा 1/4 हिस्सा की वादीगण संख्या–1 ता 6 के नाम व 1/4 हिस्सा की वादीगण संख्या–7 ता 11 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा शेष हिस्सा 1/6 की प्रतिवादी संख्या–10 सबलाराम पुत्र जवारा व 1/3 हिस्सा की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वादीगण उक्तानुसार भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने व भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज करवायी गयी खातेदारी को राजस्व रिकार्ड में सही रूप से दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब उनके मन में बदनियति आ गयी है। इसलिए दिनांक 5–7–2015 को इन्कार हो गये तथा वादीगण को उनकी हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से गलत खातेदारी की आड़ में जब्रन बेदखल करने व भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा करवाने की धमकी दी इसलिए अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि:– कृषि भूमि खसरा नम्बर **1458 से 1460, 1462 से 1466, 1472, 1473, 1488, 1495 से 1503, 1505 कुल किता 21 कुल रकबा 12.9900 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1489, 1504 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 हैक्टर** अवस्थित तन् ग्राम लीला की ढ़ाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादीगण संख्या –1 ता 6 को 1/ 4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने तथा शेष हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या–10 को व हिस्सा 1/3 का प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 को खातेदारी काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या –1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा व प्रतिवादी संख्या 10 सबलाराम पुत्र जवारा व मृतका मु0 तीजा बैवा हरनाथ के नाम गलत रूप से दर्ज हिस्सो को हजफ किया जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है। **इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

इस पर वादीगण के वाद को रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 10 से 12, 14, 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से प्रार्थना पत्र मंसूख किये जाने एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.02.2017 को मंसूख कर निरस्त किये जाने बाबत पेश करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 10 के फौत होने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर उनके वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए दावा डिक्री किये जाने बाबत सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है। वकुलाय उभय पक्षकारान् के मध्य आपस में सहमति बन जाने के कारण प्रकरण में तनकीयात् कायम नहीं कर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया है।

हमनें प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिभाषकगणों द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1458 से 1460, 1462 से 1466, 1472, 1473, 1488, 1495 से 1503, 1505 कुल किता 21 कुल रकबा 12.9900 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1489, 1504 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी, पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर इसकी खातेदारी पूर्व में 1/2 हिस्सा की वादीगण के पितागण क्रमशः हरनाथ, मंगला पुत्रगण अ... के ... दर्ज होना तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय सुखा... जवारा के नाम दर्ज रिकार्ड होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियो बाबत प्रतिवादी संख्या 10 सबलाराम पुत्र जवारा के द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीमाधोपुर के यहाँ उनवानी सबलाराम बनाम तुलसाराम वगै0 मुकदमा नम्बर 270/1988 प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 में से अपने हिस्सा की भमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किये जाने 1/6 हिस्सा वादी के व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा के 1/3 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा हरनाथ, मंगला का होने बाबत दिनांक 16.12.1988 को दावा में निर्णय पारित किया जाकर डिक्री होना प्रमाणित होता है। परन्तु वादीगण के पिता क्रमशः हरनाथ, मंगला पुत्र आना के नाम दर्ज खातेदारी हक हिस्सा 1/2 की भूमि गलत रूप से कम करवाते हुए खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा व प्रतिवादी संख्या 10 सबलाराम पुत्र जवारा के नाम गलत रूप से दर्ज होना सिद्ध होता है। इस बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वकील ने दावा डिक्री किये जाने हेतु सरे इजलास अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के वादपत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा की जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन से वादीगण का दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1458 से 1460, 1462 से 1466, 1472, 1473, 1488, 1495 से 1503, 1505 कुल किता 21 कुल

30/05/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(सीकर)

रकबा 12.9900 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1489, 1504 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी, पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में में वादीगण संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्सा का व वादीगण संख्या 7 लगायत 11 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या 10 को व हिस्सा 1/3 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पिता स्वर्गीय तुलसा पुत्र जवारा व प्रतिवादी संख्या 10 सबलाराम व जवाराराम व मृत्तका मु0 तींजा बैवा हरनाथ के नाम गलत रूप से दर्ज हिस्सों को हजफ किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/05/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2[illegible] को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.22 13:17:41 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)